



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 05 वर्ष कठोर कारावास व 5000/- रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री राजेश कुमार मिश्र थाना जामो जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 15.12.2010 को अभियुक्त द्वारा अपने गिरोह व सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक-भौतिक लाभ के लिए अपराध कारित करने पर मु०अ०सं० 560/10 धारा 2/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना जामो पर पंजीकृत किया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 12.05.2026 को माननीय न्यायालय एसजे-05 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास 5,000/- रु० अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा ।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास ।
- अभियुक्त को 5,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- सूर्यप्रताप सिंह उर्फ ददन सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह निवासी पूरे सुभाऊ मजरे कटारी थाना जामो जनपद अमेठी।



एडीजीसी श्री
सुशील कुमार सिंह



पैरोकार का०
रामानन्द सागर

